संख्या– /XXVII(7)/32/2007TC

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7

देहरादूनः दिनांकः 08 अक्टूबर, 2021

विषयः– उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि कोविड–19 महामारी के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में आयी भारी गिरावट एवं प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–72 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मूल नियमावली एवं सुसंगत आदेशों में निम्नवत् संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) ठेकेदारों की विभिन्न श्रेणियों में निर्माण लागत की सीमा में वृद्धिः–

क्र. सं.	पंजीकरण की श्रेणी	निर्माण लागत की सीमा शासनादेश संख्या–1197/ III(2)/07–75(सामान्य)/2000 दिनांक 24–02–2014 द्वारा	संशोधित लागत सीमा
1	2	3	4
1.	श्रेणी 'घ' (Class D)	रू0 50.00 लाख तक	रू0 75.00 लाख तक
2.	श्रेणी 'ग' (Class C)	रू0 1.00 करोड़ तक	रू0 1.50 करोड़ तक
3.	श्रेणी 'ख' (Class B)	रू0 2.00 करोड़ तक	रू0 3.00 करोड़ तक
4.	श्रेणी 'क' (Class A)	रू0 2.00 करोड़ से अधिक	रू0 3.00 करोड़ से अधिक

(1) बिना कार्यानुभव के ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु श्रेणी 'E' के रूप में एक नयी श्रेणी सृजित की जाती है। श्रेणी–'E' के रूप में पंजीकृत ठेकेदारों को अधिकतम रू0 20.00 लाख तक के कार्य आवंटित किये जा सकते हैं।

(2) श्रेणी–'AA' को समाप्त किया जाता है।

(2) कार्यादेश की अधिकार सीमा में वृद्धिः–

वर्तमान नियम (शासनादेश संख्या–434/XXVII(7)36/2010 दिनांक 23–12–2019 द्वारा)	संशोधित नियम
1	2
रू0 2.50 लाख मात्र	रू0 5.00 लाख मात्र

(1) कार्यादेश की उक्त संशोधित सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक के लिए लागू होगी। उक्त तिथि के पश्चात् कार्यादेश की सीमा पूर्ववत् रू0 2.50 लाख होगी।

(3) ई–टेण्डरिंग की न्यूनतम सीमा में वृद्धिः–

रू0 35.00 लाख (रू0 पैंतीस लाख मात्र) से अधिक की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक ई–निविदा के माध्यम से कराये जाय। उक्त तिथि के पश्चात् पूर्व व्यवस्था स्वतः ही यथावत् लागू हो जायेगी।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 एवं तत्ससम्बन्धी अन्य सुसंगत आदेशों में नुसार संशोधन यथासमय कर लिया जायेगा।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017 (समय–समय पर यथासंशोधित) एवं ासनादेश संख्या–1197/ III(2)/07–75(सामान्य)/2000 दिनांक 24–02–2014 एवं शासनादेश संख्या– 434/XXVII(7)36/2010 दिनांक 23–12–2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–२५५(1)/XXVII(7)/30/2007TC, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, देहरादून।
6. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।